

प्रारूप - एक  
( नियम 11 देखिये )

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन  
विभाग, जिला बालोद (छ.ग.)

--: अधिसूचना :-

क्रमांक/2811/भू-अर्जन/2018

बालोद दिनांक 02/04/2018

भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अर्न्तगत नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है अर्थात :-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
1	2	3	4	5
बालोद	बालोद	अमलीडीह	1.42 हे.	तरौद-दैहान बायपास मार्ग निर्माण कार्य लं. 7.80 कि.मी.

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 16/04/18 को प्रातः 11.00 बजे कार्यालय ग्राम पंचायत खेरथाडीह में नियत की गई है । प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	विवरण	उत्तर
1	लोक प्रयोजन, जो ऐसे अर्जन द्वारा पूरा किया जाना है ।	तरौद-दैहान बायपास मार्ग निर्माण कार्य लं. 7.80 कि. मी. हेतु भू-अर्जन ग्राम अमलीडीह
2	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	09 ( नौ ) परिवार
3	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	निरंक
4	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित सं.	निरंक
5	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित सं.	निरंक
6	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	हाँ ।
7	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	हाँ ।
8	परियोजना की कुल लागत	रु. 4007.29 लाख
9	परियोजना से होने वाला लाभ	--बायपास निर्माण होने से दुर्गै-दल्लीराजहरा की ओर आने-जाने वाली गाड़ियों को कम दूरी तय करनी पड़ेगी एवं बालोद शहर का यातायात के दबाव को कम किया जा सकेगा । बायपास मार्ग निर्माण होने से प्रभावित होने वाले ग्रामों के निवासियों को अपनी फसलों एवं वनोपज की सीधी बिक्री तथा लघु उद्योग हेतु अवसर मिल सकेगा ।
10	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय	परियोजना से होने वाले सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किये जा रहें हैं । भू-अर्जन कार्यवाही हेतु अपेक्षक निकाय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) बालोद को अनुमानित 50,00000/- अक्षरी पचास लाख रु. जमा किया गया है । अंतर की राशि मांग अनुसार जमा की जावेगी ।
10	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	निरंक


उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर ही जा सकेगी ।

पृ. कं. /2811 /  
प्रतिलिपि:-

अ-82 / वर्ष 2017-18

बालोद दिनांक 02/04/2018

1. प्रभारी अधिकारी एन.आई.सी. जिला कार्यालय बालोद को उक्त सूचना उपयुक्त वेबसाइट में अपलोड करने हेतु अग्रेषित ।
2. अधीक्षक कार्यालय कलेक्टर बालोद को कार्यालयीन सूचना पटल में प्रकाशन हेतु अग्रेषित ।
3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बालोद को कार्यालयीन सूचना पटल में प्रकाशन हेतु अग्रेषित ।
4. तहसीलदार बालोद को सूचना पटल में चरपा हेतु अग्रेषित ।
5. मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बालोद कार्यालयीन सूचना पटल में प्रकाशन हेतु अग्रेषित ।
6. ग्राम पंचायत खेरथाडीह तहसील बालोद को ग्राम पंचायत में चरपा हेतु अग्रेषित ।



( डॉ. सारांश मित्तर )

कलेक्टर जिला बालोद

एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग